

अनुमति-पत्र

दिनांक 13.9.19

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

सी. दिनेश प्रताप सिंह जे. दिनेश प्रताप सिंह
पुनः एच. सुदण प्रताप व.

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/ श्रीमती शांतिनी देवी
 पिता/पति का नाम श्री विभव नारायण शर्मा आराजी संख्या 28 व 29 मौजा हरहुजा
 वार्ड शिवपुर में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिह्नित भवन चित्र के
 अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक.....20



१३-०९-८९
कृत उपाध्यक्ष

वाराणसी विकास प्राधिकरण
~~वाराणसी~~ वाराणसी

नोट : 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत अज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञायम इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2- इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पार्किंग, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झोंप, नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की रीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनयम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3- मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरियाँ अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने परदिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उरो अपने खर्चों से गरम्मत कराकर पूर्ववत अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया ।

6- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

18. भवन परिसर में वाराणसी महायोजना 2031 एवं उसके सबडिविजन रेगुलेशन एवं जोनिंग रेगुलेशन में निर्धारित अनुमन्य भू-उपयोग तथा अनुमन्य क्रियाओं का उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। यह प्राविधान मूल भवन स्वामी, उक्त स्वामी, किरायेदार / उपयोग कर्ता आदि सभी पर लागू होगा।

19. निर्माण कर्ता द्वारा भवन सामग्री भूखण्डपरिसर के भीतर ही रखी जायेगी, तथा किसी प्रकार से सड़क यातायात अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

20. निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही कराया जाना होगा। सभी प्रकार के विकास कार्य / अवस्थापना सुविधाओं तथा भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित शासकीय विभाग या संस्था के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ जलापूर्ति, जलनिकासी एवं मल निस्तारणसम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्नि शमन सुरक्षा लिफ्ट सुरक्षा, आपदा प्रबंधन भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चर सेफ्टी/ स्टेबिलिटी आदि के मानको एवं संबंधित विभागों की गाइड लाइन / मानको / नियम व शर्तों / शासनादेशों / शासकीय नीति व निर्देशों / वीआई0एस0 व आई0एसआई0 के लागू सुसंगत कोड व मानको के अनुरूप एवं उनके अनापत्ति प्रमाणपत्र में उल्लेखित निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्यों एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।

21. भवन निर्माण में जलापूर्ति के लिए भू-जल का दोहन/अनाधिकृत निकासी व दुरुपयोग नहीं किया जायेगा तथा किसी भी दशा में भू-जल, प्राधिकरण अथवा उ0प्र0 भू-जल विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित नियन्त्रक प्राधिकारी के बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार से भू-जल की अनाधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रश्रुत क्षेत्र की हाइड्रोलॉजी के दृष्टिगत केन्द्रीय वाटर हारवेस्टिंग/भू-जल संचयन प्रभावी एवं कार्यशील व्यवस्था की जायेगी।

22. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित भवन में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा (सोलर) उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पूर्ण वितरण, वर्षा जल संचयन के पारिस्थितिकीय (Ecological) एवं पर्यावरण संरक्षण एवं भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण एवं लैंड स्केपिंग, सीवेज डिस्पोजल एवं सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, लिफ्ट संचालन एवं सुरक्षा आदि की व्यवस्था, निर्माण/कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित शासकीय विभागों, सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त के साथ की गाइड लाइन/मानको/नियमों व शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।

23. उ0 प्र0 अपार्टमेंट एक्ट 2012 एवं उनके अर्न्तगत बनाये गये नियमों के साथ- साथ उ0प्र0 रियल स्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट- 2016 एवं उसके अर्न्तगत बनाये गये उ0 प्र0 रियल स्टेट(रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) रूल्स- 2016 (यथाअध्यावधिक प्रभावी संसोधनों के साथ लागू) के समस्त प्राविधानों को लागू करते हुये एवं उसके अर्न्तगत समय- समयपर सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय/ ट्रिब्यूनल द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुये सभी वांछित प्रपत्रों/अभिलेखों को निर्धारित समय सीमाके भीतर प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।

24. भवन निर्माण विकास उपविधि में वाणिज्य इनवायरमेंटल शर्तों के संबंध में पक्ष का कुल विल्टअप एरिया 5000 वर्गमी0 से 1,50,000 वर्गमीटर के बीच है। अतः परिशिष्ट-15 एवं पक्ष से प्राप्त किये जाने वाले सपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है।

25. भवन निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्राधिकरण में आवेदन कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करना होगा। तदोपरान्त ही भवन को उपयोग में लाया जायेगा।


13-09-19

प्रभारी अधिकारी, मानचित्र